दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, मंगलवार 12 सितंबर 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 344

महत्वपूर्ण एवं खास

सड़क किनारे खड़ी वैन को ट्रक ने मारी टक्कर, फुटपाथ पर बैठे लोगों को कुचला, 7 की मौत

चेन्नई (आरएनएस)। तमिलनाडु के तिरुपथुर में सोमवार को भीषण सडक़ हादसा हुआ। यहां फुटपाथ पर बैठे 7 लोगों की वैन से कुचलने के बाद मौत हो गई। बताया गया है कि जब यह वैन सडक़ के किनारे खड़ी थी, ठीक उसी दौरान ट्रक ने इसे पीछे से टक्कर मार दी, जिससे यह वैन फुटपाथ पर बैठे लोगों को कुचलती चली गई। पुलिस के मुताबिक, जिस वैन से यह हादसा हुआ, वह फुटपाथ पर बैठे लोगों को ही ले जा रही थी। हालांकि, रास्ते में कुछ खराबी आ जाने की वजह से वे सभी इससे उतरकर सडक़ किनारे बैठ गए थे।

40 मंजिला इमारत में लिफ्ट दुर्घटनाग्रस्त, 5 मजदूरों की मौत

ठाणे (आरएनएस)। महाराष्ट्र के ठाणे में 40 मंजिला इमारत में सर्विस लिफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में कम से कम 5 मजदूरों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ठाणे नगर निगम के एक अधिकारी के अनुसार, यह घटना बलकुंब इलाके की एक इमारत में तब हुई जब कर्मचारी ऊपरी मंजिल पर वॉटरप्रूफिंग का कुछ काम पूरा करने के बाद सर्विस लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे। राइडिंग के दौरान अचानक बीच रास्ते में तकनीकी खराबी आ गई और लिफ्ट तेज गति से नीचे गिरी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में पांच मजदूरों की मौके पर मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। ठाणे फायर ब्रिगेड और आपदा टीमें बचाव और राहत कार्यों के लिए घटनास्थल पर पहुंच गई हैं।

बाल-बाल बचे 168 यात्री ... उड़ान भरते ही एयर एशिया विमान में आई तकनीकी समस्या, कोच्चि में करवाई इमरजेंसी लैंडिंग

कोच्चि (आरएनएस)। एयर एशिया के एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग होने की बात सामने आई है। 168 यात्रियों और चालक दल के छह सदस्यों को लेकर कोच्चि से बेंगलुरु जा रहे एयर एशिया का विमान यहां कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद वापस लौट आया। हवाईअड्डे के सूत्रों ने बताया कि रविवार देर रात बेंगलुरु के लिए रवाना हुई कोच्चि-बेंगलुरु फ्लाइट में रात 11.15 बजे उड़ान भरने के तुरंत बाद तकनीकी समस्या आ गई। बाद में जांच में पता चला कि विमान में हाइड्रोलिक समस्या थी।

ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत

भीलवाडा (आरएनएस)। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के पडेर थाना क्षेत्र में सावर चौराहा पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो युवक की मौत हो गई । जानकारी के अनुसार पंडेर के सावर चौराहे पर गत रात्रि ट्रक बाइक की टक्कर में थाना क्षेत्र के जसवंतपुरा निवासी सांवरा गुर्जर एवं हंसराज गुर्जर की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पंडेर सरपंच प्रतिनिधि मुकेश जाट एवं उनकी टीम मौके पर पहुंचे गाड़ी से घायलों को पंडेर राजकीय चिकित्सालय लाया गया जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। उधर दोनों युवकों की मौत की सूचना मिलते ही जसवंतपुरा गांव में शोक की लहर छाई।

मोरक्को में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 2,122

मोरक्को । मोरक्को में मध्य रात आए भीषण भूकंप के बाद से कम से कम 2,122 लोगों की मौत हो गयी और 2,421 लोग घायल हो गए हैं। मोरक्को के आंतरिक मंत्रालय ने अपने नवीनतम अपडेट में यह जानकारी दी। मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि मरने वालों में अल हाउज़ प्रांत में 1,351, तरौदंत प्रांत में 492, चिचौआ में 201 और मराकेश में 17 लोग शामिल हैं। मोरक्को के सैनिक और आपातकालीन सेवाएं कथित तौर पर एटलस पर्वत क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही है क्योंकि वहां तक जाने वाली सडक़ें गिरे हुए पत्थरों के कारण अवरुद्ध हो गई थीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुमान के अनुसार, इस आपदा ने प्राचीन शहर और उसके बाहरी इलाके में 300,000 से अधिक लोगों को प्रभावित किया है। मोरक्कन रेड क्रिसेंट (एमआरसी) ने कहा है कि ज़मीनी स्थिति ने खोज और बचाव प्रयासों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है, और इसमें मदद के लिए एटलस पर्वत के उन दूरदराज के इलाकों में भारी मशीनरी पहुंचाना एक प्राथमिकता है।

छत्तीसगढ़ सरकार का महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला

बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़ व दुष्कर्म के आरोपियों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

❐ **मुख्यमंत्री बघेल की घोषणा पर अमल: सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश**

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है। बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इस संबंध में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज आदेश जारी कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि बीते 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरी से प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अस्मिता बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

सामान्य प्रशासन द्वारा सभी विभागों, राजस्व मण्डल के अध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों को जारी निर्देश में कहा गया है कि शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी, जिनके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध जो कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 509, 493, 496 एवं 498 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट), 2012 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हों, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाये। राज्य सरकार द्वारा निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है।

जारी निर्देश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उप-नियम (4) में निम्नानुसार प्रावधान है कि कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां तक किसी उम्मीदवार के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं से संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए प्रशासनिक, व्यावहारिक और विधिक कई स्तरों पर तत्परता से काम किया है। प्रदेश के 547 थानों, चौकियों में महिला सेल की स्थापना की गई है, ताकि पीड़ित महिलाएं नि:संकोच अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकें। जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। प्रत्येक जिला मुख्यालय में घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीडऩ की घटनाओं की रोकथाम हेतु महिला परामर्श केन्द्र की स्थापना की गई है। राज्य के 04 बड़े जिले बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग तथा सरगुजा में महिला थाना स्थापित किया गया है। राज्य के 6 जिले रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ तथा जांजगीर-चांपा में महिला विरुद्ध अपराध अनुसंधान ईकाई की स्थापना की गई है।

राज्य सरकार के पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा हेतु अभिव्यक्ति ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसके एक लाख 85 हजार से अधिक पंजीकृत यूजर्स हैं। महिला सुरक्षा और अपराधों को नियंत्रण करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थानों को चिन्हाकिंत कर संवेदनशील स्थानों में सीसीटीव्ही कैमरा लगाये गए हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन शोषण को रोके जाने के संबंध में प्रत्येक ईकाई में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। बालिकाओं और युवतियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल-कॉलेज एवं संवेदनशील स्थानों पर महिला पुलिस पेट्रोलिंग टीम द्वारा लगातार गश्त किया रहा है। इसके साथ ही विशेषज्ञ अथवा प्रशिक्षित महिला पुलिस अधिकारियों के माध्यम से महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान भी संचालित किया जा रहा है।

ब्राजील में उष्णकटिबंधीय चक्रवात से 44 की मौत

साओ पाउलो । दक्षिणी ब्राजील में पिछले हफ्ते आए एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बाद कुल 44 लोगों की मौत हो गयी और 46 अन्य लापता हो गए। चक्रवात के कारण अर्जेंटीना और उरुग्वे की सीमा से लगे रियो ग्रांडे डो सुल राज्य के लगभग 60 शहरों और पड़ोसी राज्य सांता कैटरीना के कुछ क्षेत्रों में सोमवार से मूसलाधार बारिश, बाढ़, 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की हवाएं चली और भूस्खलन शुरू हो गया।

एक को छोडक़र सभी मौतें रियो ग्रांडे डो सुल में हुईं, जहां 224 लोग घायल हो गए और 14,000 से अधिक लोगों को निकाला गया। सबसे बुरी तरह प्रभावित शहर म्यूकम है जहां 16 लोगों की मौत हुई और रोका सेल्स में 10 लोगों की मौत हुई।

ब्राज़ील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो एल्कमिन ने शुक्रवार को चक्रवात से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 160 अमेरिकी डॉलर का मुआवजा देने की सरकार की योजना की घोषणा करने के बाद रविवार को इस क्षेत्र का दौरा किया। राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला डी सिल्वा ने भारत से बोलते हुए चरम मौसम की घटना को जलवायु परिवर्तन के परिणामों से निपटने के लिए आवश्यक पर्यावरणीय एजेंडे से जोड़ा। सिल्वा भारत में जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए हुए थे।

रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पूरे विश्व में होगा लाइव प्रसारण

❐ **दुनिया में मनेगा दीपोत्सव**

अयोध्या (आरएनएस)। विश्वहिंदू परिषद के देश भर के शीर्ष पदाधिकारी दो दिन से अयोध्या में जुटे हैं। विहिप की केंद्रीय टोली की बैठक में रविवार को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई, महोत्सव को भी ऐतिहासिक बनाने पर मंथन हुआ। जिस दिन रामलला अपने नए मंदिर में विराजेंगे उस दिन पूरी दुनिया में दीपोत्सव मनेगा। मठ-मंदिर, घर-घर में अनुष्ठान होगा। पूरा विश्व महोत्सव का साक्षी बन सके इसलिए लाइव प्रसारण की व्यवस्था की जाएगी। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रम को संपूर्ण विश्व में आनंदोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। देश ही नहीं विदेशों में निवास करने वाले भी इस महोत्सव में सहभागी हों।

बैठक में संघ के पूर्व सह सर कार्यवाह भैयाजी जोशी, विहिप के महामंत्री मिलिंद परांडे, श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, डॉ अनिल मिश्र, कामेश्वर चौपाल, विहिप के उपाध्यक्ष जीवेश्वर, संयुक्त मंत्री कोटेश्वर समेत कई प्रांतों के पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। संघ के पूर्व सह सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने कहा, राममंदिर के उद्घाटन पर रामराज्याभिषेक जैसा माहौल होगा। देश-विदेश के रामभक्त मंदिर के उद्घाटन पर अयोध्या आने को आतुर हैं। विश्वास है कि लाखों लोग रामलला के दर्शन को आएंगे, बिना बुलाए आएंगे।

प्राण प्रतिष्ठा के लिए 120 देशों के कलाकारों को भी आमंत्रित करने की तैयारी है। ये देश ऐसे हैं जहां राम व रामलीला की संस्कृति आज भी कायम है। इन देशों के कलाकारों को महोत्सव में आमंत्रित करने पर विचार जल रहा है। हर देश से दस-दस कलाकारों की टीम बुलाई जा सकती है। ये सांस्कृतिक मंचों पर अपनी संस्कृति के अनुरूप राम गाथा प्रस्तुत करेंगे। बांके बिहारी मंदिर में लगातार बढ़ रहे श्रद्धालुओं को देखते हुए वहां की सुविधा, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन पर सरकार काफी फोकस कर रही है। इसी के तहत विकास कार्य व कॉरिडोर निर्माण को लेकर ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने 505 करोड़ का विस्तृत प्लान तैयार किया है।

लड़की के कंधे पर हाथ रखना, कपड़े खींचना भी पॉक्सो मामले में गलत इरादे का सबूत : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

भोपाल (आरएनएस)। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति एक लडक़ी के कपड़े खींच रहा है और उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, यह उसके यौन इरादे को दर्शाता है।

जस्टिस प्रेम नारायण सिंह की सिंगल जज बेंच ने कहा कि कानून के अनुसार, पॉक्सो एक्ट के तहत किसी भी अपराध के लिए आरोपी की ओर से दोषी मानसिक अवस्था की आवश्यकता होती है और इस प्रकार के अपराधों में विशेष अदालत द्वारा यही माना जाएगा। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कहा, जहां तक यौन इरादे की देरी का सवाल है, घटना के समय अपीलकर्ता 22 साल का व्यक्ति था। उसने पीड़िता के कपड़े खींचे और उसके कंधे पर हाथ रखा। यह आचरण स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता की यौन प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसलिए, हाईकोर्ट भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (शील भंग करना) और पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत अपीलकर्ता-अभियुक्त की सजा की पुष्टि करता है। कोर्ट ने दोषी पर 4,000 रुपये जुर्माना लगाने के साथ 3 साल की कैद की सजा भी बरकरार रखी है।

अभियोजन पक्ष का आरोप था कि 9वीं कक्षा में पढऩे वाली पीड़ित छात्रा जब अपने रिश्तेदार के घर से लौट रही थी, तब अभियुक्त ने गलत इरादे से उसका हाथ पकड़ा और उसके कपड़े खींचे। जब उसने शोर मचाया तो उसके चाचा मनीष वहां आ गए और अभियुक्त उसे धमकी देकर मौके से भाग गया। पुलिस की ओर से दायर किए गए आरोप पत्र के आधार पर दोनों पक्षों की लंबी कानूनी जिरह के बाद निचली अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे पॉक्सो एक्ट के तहत 3 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 4000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अपीलकर्ता ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था।

आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि पीड़िता की उम्र की ठीक से जांच नहीं की गई और अपीलकर्ता की ओर से कोई यौन हमला नहीं किया गया। सभी मौजूद साक्ष्यों के गहन विश्लेषण के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता के बयान की पुष्टि एक गवाह मनीष के बयान से होती है। कोर्ट ने कहा कि यह प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में दिए गए विवरण के अनुरूप भी था। इसके अतिरिक्त, अदालत ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि पीड़िता की मेडिकल जांच के दौरान एक चिकित्सा अधिकारी ने पीड़िता के बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से पर एक खरोंच के निशान की पहचान की थी।

इस सवाल के संबंध में कि क्या पीड़िता 18 वर्ष से कम उम्र की 'बच्ची' की परिभाषा के अंतर्गत आती है, हाईकोर्ट ने यह साफ किया कि घटना के समय, वह 15 वर्ष से कम उम्र की थी। .इसके अलावा, अभियोजक और अन्य गवाहों की गवाही में मामूली विरोधाभासों को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी विसंगतियां उनके बयानों की विश्वसनीयता को कम नहीं करेंगी।

जम्मू-कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम : श्रीनगर-बारामूला हाईवे पर संदिग्ध आईईडी बरामद, रोका गया ट्रैफिक

श्रीनगर (आरएनएस)। श्रीनगर-बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर हंजीवेरा पट्टन में संदिग्ध वस्तु आईईडी मिलने की जानकारी मिली है। इसकी सूचना मिलते ही सुरक्षाबलों ने श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर बंद कर दिया। जांच के बाद संदिग्ध आईईडी को निष्क्रिय कर दिया गया है।

सोमवार की सुबह श्रीनगर-बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर हंजीवेरा पट्टन में सुरक्षा बलों को संदिग्ध आईईडी होने की जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना और बीडीएस मौके पर पहुंचे। मौका संभालते हुए सुरक्षाबलों ने हाईवे पर ट्रैफिक रोका। इसके बाद संदिग्ध आईईडी की जांच की। जांच के बाद उसे निष्क्रिय कर दिया गया। फिलहाल इलाके में सुरक्षाबलों ने तलाशी अभियान चला रखा है।

सिले हुए जहाज को प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों पर चलाएगी भारतीय नौसेना

❐ **प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए भारत सरकार की एक पहल**

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय नौसेना स्टिच जहाज को पारंपरिक समुद्री व्यापार मार्गों पर चलाएगी कई सहस्राब्दियों से चली आ रही भारत की समृद्ध समुद्री परंपरा, एक प्राचीन समुद्री चमत्कार - सिले हुए जहाज के पुनरुद्धार के साथ एक बार फिर से जीवंत होने के लिए तैयार है। सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल में। भारत की नौसेना, संस्कृति मंत्रालय और मेसर्स होदी इनोवेशन, गोवा, एक प्राचीन सिले हुए जहाज के पुनर्निर्माण के लिए सहयोग कर रहे हैं, जो उन जहाजों की याद दिलाता है जो कभी भारत के प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों पर महासागरों में यात्रा करते थे।भारत की सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत में गहराई से अंतर्निहित यह उल्लेखनीय प्रयास, हमारे देश की समृद्ध जहाज निर्माण विरासत का प्रतीक है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की संकल्पना में व्यापक विषय विशेषज्ञों के साथ व्यापक अनुसंधान और परामर्श महत्वपूर्ण रहा है। यह पहल कई मंत्रालयों के सहयोगात्मक प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय नौसेना जहाज के डिजाइन और निर्माण की देखरेख कर रही है और जहाज को प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों पर चलाएगी।संस्कृति मंत्रालय ने इस परियोजना को पूरी तरह से वित्त पोषित किया है, जबकि जहाजरानी मंत्रालय और विदेश मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय यात्रा के निर्बाध निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना का समर्थन करेंगे।इस परियोजना को 14 दिसंबर 2022 को एक स्मारक परियोजना के रूप में भारत के गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। भारतीय नौसेना के नौसेना वास्तुकला निदेशालय ने संस्कृति मंत्रालय के साथ कई दौर की चर्चा की। प्राचीन सिले हुए जहाज के निर्माण के लिए 18 जुलाई 2023 को मेसर्स होदी इनोवेशन, गोवा के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर के साथ परिणति हुई।इस जहाज के निर्माण में सिलाई का काम के नेतृत्व में पारंपरिक जहाज निर्माताओं की एक टीम द्वारा किया जाएगा। बाबू शंकरन, जो सिले हुए जहाज निर्माण में विशेषज्ञ हैं। इस सदियों पुरानी तकनीक का उपयोग करके, लकड़ी के तख्तों को पतवार के आकार के अनुरूप पारंपरिक स्टीमिंग विधि का उपयोग करके आकार दिया जाएगा। फिर प्रत्येक तख्ते को नारियल के रेशे, राल और मछली के तेल के संयोजन से सील करके डोरियों/रस्सियों का उपयोग करके दूसरे से सिला जाएगा - प्राचीन भारतीय जहाज निर्माण अभ्यास के समान।एक बार जहाज तैयार हो जाने के बाद, भारतीय नौसेना द्वारा प्राचीन नेविगेशन तकनीकों का उपयोग करके पारंपरिक समुद्री व्यापार मार्गों पर एक अनूठी यात्रा की जाएगी। पुन: खोज और पुनरुद्धार की यात्रा 12 सितंबर 23 को मेसर्स होदी इनोवेशन, गोवा में आयोजित शिलान्यास समारोह के साथ शुरू होती है, जहां मीनाक्षी लेखी, माननीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री, भारत सरकार अध्यक्षता करेंगी। इस अवसर पर एडीएम आर हरि कुमार, सीएनएस और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल भी उपस्थित रहेंगे।